

कार्यालय सभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा

क्रमांक-सं0आ0 / 2024 / न्याय / 08

दिनांक 05.01.2024

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्रांक-प.8-8 (09) प. आ.ख/ सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा)/2023-24/ दिनांक 04.01.2024 के अनुसार सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 (कॉलेज शिक्षा विभाग) हेतु तृतीय प्रश्न पत्र राजस्थान का सामान्य ज्ञान का आयोजन दिनांक 07.01.2024 (रविवार) को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 तक कोटा जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। इस संबंध में शासन उपसचिव, गृह (गुप-9) विभाग के पत्रांक प.35 (4) गृह-9/2017 पार्ट 2 जयपुर दिनांक 04.01.2024 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। गृह विभाग के उक्त पत्र दिनांक 04.01.2024 के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र दिनांक 04.01.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संभाग मुख्यालयों पर इन्टरनेट सेवा बन्द किये जाने हेतु गृह विभाग राजस्थान सरकार से निवेदन किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा अपने पत्रांक /न्याय/इन्टरनेट सेवाएं/2024/159 दिनांक 05.01.2024 एवं पुलिस अधीक्षक कोटा शहर द्वारा अपने पत्रांक-जि.पि.शा./को.श./2024/484-88 दिनांक 06.01.2024 द्वारा अगोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया गया है कि सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 (कॉलेज शिक्षा विभाग) के सफल, निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण आयोजन हेतु व्यवस्थाओं को सुदृढ़ एवं सतर्कतापूर्ण कराने की दृष्टि से दिनांक 07.01.2024 (रविवार) को समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सोशल मीडिया इत्यादि पर झामक एवं अनर्गल सूचनाओं को फैलाने से रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने लोक आपात एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण कोटा शहर के समस्त धाना क्षेत्रों में 2G/3G/4G/5G Data (लीज लाइन, ब्रॉड बैंड को छोड़कर) इन्टरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलम्बित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः जिला कलक्टर कोटा एवं पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से प्राप्त पत्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर दिनांक 07.01.2024 (रविवार) को समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक के लिए कोटा शहर के समस्त धाना क्षेत्रों में लीज लाइन, ब्रॉड बैंड को छोड़कर 2G/3G/4G/5G Data, Internet services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, Facebook, Twitter and other social media by Internet Services Providers (except voice call of land line and mobile phone and Broad Band Services) सेवाओं को अस्थायी रूप से निलम्बित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः जिला कलक्टर कोटा एवं पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से प्राप्त पत्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं, डॉ. प्रतिभा सिंह सभागीय आयुक्त, कोटा संभाग राजस्थान सरकार के गृह विभाग (गुप-9) के आदेश क्रमांक /35(1)(Home-9)/2006 Pt. जयपुर दिनांक 02.09.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों (In

exercise of the powers conferred by rule 2(1) of the temporary suspension of telecom services (public emergency or public safety rules 2017) का प्रयोग करते हुये जिला मुख्यालय कोटा शहर के समस्त थाना क्षेत्रों में लीज लाइन, वॉइस बैंड को छोड़कर 2G/3G/4G/5G Data, Internet services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, Facebook, Twitter and other social media by Internet Services Providers (except voice call of land line and mobile phone and Broad Band Services) दिनांक 07.01.2024 को कोटा शहर के समस्त थाना क्षेत्रों में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक के लिए अस्थायी रूप से निलंबित (temporary suspension order) करती हूँ। यह आदेश दिनांक 07.01.2024 की प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक के लिए कोटा शहर के समस्त थाना क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 06.01.2024 को मेरे हस्ताक्षरों से जारी किया गया।

(श्री० प्रतिमा सिंह)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा
दिनांक 05.01.2024

क्रमांक/सम/०९-१९

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अनुमोदनार्थ
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त समस्त
5. महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज, कोटा
6. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
7. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा
8. पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर) को भेजकर लेख है कि संबंधित क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कंपनियों / ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जाये।
9. नोडल अधिकारी टेलीकॉम ऑपरेटर बी.एस.एन एल/एयरटेल /वोडाफोन-आईडीया /रिलायंस/जियो आदि को पालनार्थ मार्फत पुलिस अधीक्षक कोटा शहर, कोटा
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, कोटा
11. आदेश पत्रावली

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा